कोलकाता□ पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज यह मांग करते हु□ □कप्रस्ताव पारित किया किया कि केंद्र को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से आधारकार्ड को जो□ ने का अपना फैसला तत्काल वापस लेना चाहि□□

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य केकेवल 15 फीसदी लोगों को ही आधार कार्ड मिल पाया है, ऐसे में 85 फीसदी लोग (साल में) नौ सब्सिडीप्राप्त सिलेंडर नहीं ले पा□ंगे, क्योंकि केंद्र ने सीधे ही संबंधित बैंकों में सब्सिडी पहुंचाने केलि□ आधार कार्ड प्रत्यक्ष नकद अंतरण से जो□ दिया है□

प्रस्ताव केअनुसार इस फैसले से आम जनता भारी परेशानी में आ जा□ गी□

संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव रखा था□ विपक्ष केनेता सूर्य कांत मिश्रा ने यह कहते हु□ इसका समर्थन किया कि आधार कार्ड से जु□ कई मुद्दे अब भी अनसुलझे है□

मिश्रा ने कहा कि केंद्र कानूनी रूप से बायोमैट्रिकि पंजीकरण को अनिवार्य नहीं कर सकता□

चटर्जी ने प्रस्ताव में चटर्जी केइस लाईन को शामिल कर लिया कि आधार कार्ड केसंबंध में कई मुद्दे अब भी अनसुलझे है□

माकपा सदस्यों ने इसका स्वागत किया□

(भाषा)